दिनांक 30.04.2022 को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की सम्पन्न हुई "विद्या परिषद्" की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 30.04.2022 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय, देहरादून के कॉन्फ्रेन्स हाल में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 11वीं बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नॉकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे।

(क) कुलपति, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, —अध्यक्ष।

(ख) विश्वविद्यालय के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्यपरिषद् के सदस्य न हो:

(2) डॉ0 आर0पी0एस0 गंगवार, निदेशक डब्लू.आई.टी.। —सदस्य

(3) डॉ0 सतेन्द्र सिंह, निदेशक,बी0टी0के0आई0टी0 द्वाराहाट । (online) —सदस्य

(4) डॉ हरप्रीत सिंह ग्रेवाल निदेशक,डी.बी.एस. कालेज देहरादून। —सदस्य

(5) डॉ0 अमित बन्सल, निदेशक जे.बी.आई.टी कालेज देहरादून। —सदस्य

(6) डॉ0 अभय कुमार शर्मा, निदेशक बी.आई.एस भीमताल । (online) —सदस्य

(घ) गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष।

(7) डॉ0 अलक नन्दा अशोक, डीन कालेज ऑफ टेक्नॉलोजी पन्तनगर —सदस्य

(ड) कुलसचिव उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून। —पदेन सचिव

(अ) परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून। — आंमत्रित सदस्य

(ब) वित्त नियंत्रक, तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून। — आंमत्रित सदस्य

(स) श्री सुनील कुमार , परीक्षा विभाग। — आंमत्रित सदस्य

(द) डॉ0 विशाल रमोला, तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून। — आंमत्रित सदस्य

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् के नामित सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक गतिविधियों इत्यादि पर संक्षेप में बताया गया तथा पूर्व में आने वाली समस्याओं, उनके निदान एवं भविष्य की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया। कुलसचिव द्वारा दिनांक 25–02–2021 को सम्पन्न हुई 10 वीं बैठक के एजेण्डा पर कृत कार्यवाही से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। तदोपरान्त मा0 सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

बिन्दु सं0–11.01

(क) विद्या परिषद की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(ख) विद्या परिषद की दिनांक 25–02–2021 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना दी गयी। कृत कार्यवाही पर मा0 सदस्यों द्वारा सतोष व्यक्त किया गया ।

बिन्दु संख्या:–11.02

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह के आयोजन का अनुमोदन।

प्रस्ताव:– मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को विश्वविद्यालय का छठवॉ दीक्षांत समारोह आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। तत्क्रम में निम्नानुसार प्रस्तावित है।

(1) विश्वविद्यालय के ओडिटोरियम में दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु मा0 सदस्यों की सहमति प्रार्थनीय है।

(2) विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सभी यू.जी./पी.जी. उपाधि धारकों को सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–2020 एवं 2020–2021 की उपाधियां तथा वर्ष 2017 से वर्ष 31 मार्च 2022 तक के पी.एच.डी. धारकों को पी.एच.डी. की उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

(3) उक्त दीक्षांत समारोह में आमंत्रित सदस्यों का सूक्ष्म विवरण, माननीय सदस्यों के अवलोनार्थ/अनुमोदनार्थ।

(4) दीक्षांत समारोह का क्षण–प्रतिक्षण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.02 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–11.03

विश्वविद्यालय से सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं सत्र 2020–21 में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि/मैडल प्रदान किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्तावः–

(1) वर्ष 2017 से 31 मार्च 2022 तक संलग्न विवरण के अनुसार कुल 308 पी.एच.डी. उपाधि धारकों को पी0एच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

(2) सत्र 2016–17 से 2020–2021 तक विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण 38791 छात्र–छात्राओं को उपाधियां प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

(3) सत्र 2017 से 2021 तक के विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठयक्रमों के टॉपर 66 छात्र–छात्राओं को गोल्ड मैड़ल प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.03 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–11.04

ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर से बिपिन त्रिपाठी कुमायूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, द्वाराहाट कॉलेज की परीक्षाओं का विश्वविद्यालय से आयोजन।

प्रस्ताव–

बिपिन त्रिपाठी कुमायूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, द्वाराहाट, संस्थान के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व शैक्षिक सत्रों में शैक्षिक स्वायत्तता विस्तार करने हेतु अनुमोदन इस आशय से प्रदान किया गया कि संस्थान की शैक्षिक गतिविधियां संचालित हो सके लेकिन 05वर्ष पश्चात् भी Accredition हेतु संस्थान द्वारा NBA Accredition प्राप्त नहीं किया जा सका। उक्त के कम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा NBA Accredition के अभाव में शैक्षिक स्वायत्तता विस्तार करना संभव नहीं है। सम्यक विचारोपरान्त मा0 कुलपति महोदय के उपरान्त छात्रहित एवं संस्थान हित में विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या–2444/वी.मा.सिं.भा.उ.प्रो.वि.वि./2022, दिनांक 21/02/2022 द्वारा विशेष परिस्थिति में व समय अभाव के कारण शीतकालीन परीक्षा (2021–22) के विषम सेमेस्टर की परीक्षा पूर्व की भांति आयोजित कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। सम–सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय स्तर से आयोजित की जायेगी का तदनुसासर अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.04 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:–11.05

ऐसे छात्रों का प्रस्ताव जिनकी कोर्स समयावधि समाप्त हो चुकी है, उनको परीक्षाओं में बैठने हेतु विशेष अनुमति हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव– कोविड–19 एवं गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण एम.टैक. के छात्र–छात्राएं ऑर्डिनेंस के अनुसार निर्धारित समय में अपनी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सकने के कारण अपना कोर्स पूर्ण नहीं कर पायें हैं। कोविड़–19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान किये जाने का अनुमोदन। छात्रों का विवरण संलग्न है।

(1)	प्रेम प्रकाश	–	CSE	-	2018
(2)	अंकित तिवारी	–	PSE	-	2018
(3)	सुजाता कोहली	–	VLSI	-	2018
(4)	दिव्य राणा	–	CSE	-	2018
(5)	साधना भट्ट	–	CSE	-	2018
(6)	गौरव मेहरा	–	Civil	-	2017
(7)	अवतरित कुमार धीमान	–	Civil	-	2018

विनिश्चय :–11.05 प्रस्ताव पर इस आशय से अनुमोदन दिया गया है उक्त छात्र–छात्राओं को अवगत कराया जाए कि विशेष परिस्थितियों में कोविड़–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इनको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में इसे दृष्टान्त न समझा जाए।

बिन्दु संख्या:–11.06

पी.एच.डी. संबंधी प्रकरण पर चर्चा।

प्रस्ताव– विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रम के ई0सी0ई0 विषय में पंजीकृत शोधार्थी श्री सौरभ मिश्रा, जिनका शोध निबन्धन मूल्यांकन हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय–विशेषज्ञों को प्रेषित किया गया था जिनमें से एक विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन उपरान्त शोध उपाधि प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी तथा समय–समय पर नामित अन्य दो विषय–विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन उपरान्त शोध निबन्ध को निरस्त कर दिया गया। उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की सम्पन्न हुई शोध समिति की प्रथम बैठक दिनांक 4/2/2022 में चर्चा हेतु रखा गया था जिसमें समिति द्वारा प्रकरण को निस्तारित करने के लिए आगामी विद्या परिषद की बैठक में ले जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी। यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय पी.एच.डी. अधिनियम–2009 के बिन्दु संख्या 17 में व्यवस्था दी गयी है कि शोध निबन्ध के

मूल्यांकन हेतु परीक्षक, शोधार्थी के गाइड द्वारा उपलब्ध करायी गयी परीक्षकों की सूची में से ही नामित किये जायेंगे। परन्तु तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा उपलब्ध सूची से अन्यत्र एक परीक्षक नामित किया गया। उक्त अनुसार छात्रहित में एक अन्य गाइड नामित करते हुए छात्र को अपने शोध निबन्ध को नामित गाइड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :–11.06 विस्तृत चर्चा उपरान्त मा0 कुलपति महोदय द्वारा छात्रहित में अन्य विषय विशेषज्ञ को नामित करते हुए शोध निबन्ध को संबंधित विषय विशेषज्ञ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–11.07

शैक्षिक सत्र 2021–22 से गोविन्द बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल में संचालित समस्त स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन प्रणाली(Grading Based Evaluation System) लागू।

प्रस्ताव– उक्त विषयक संस्थान द्वारा ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन प्रणाली (Grading Based Evaluation System) लागू किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, क्योंकि Credit Base System लागू नहीं होने के अभाव में NBA Accreditation न होने से संस्थान को समस्या आ रही है। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थानों की विशेषज्ञ टीम बना कर टीम की रिपोर्ट के आधार पर संस्थान के Credit Base Grading System के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ**(संलग्नक-06)**।

विनिश्चय :–11.07 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नवत् अनुमोदन किये गये :–

1– उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली 2018 में निम्न व्यवस्था हैः–

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविधालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होगी तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य के कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे की अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा"।

उक्त के क्रम में माननीय सदस्यों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के छात्र–छात्राओं को प्रवेश हेतु विभिन्न पाठ्यकमों में अधिक सीटे उपलब्ध कराने के दृष्टिगत नियमावली की उक्त धारा में उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए 50प्रतिशत सीटों के स्थान पर 75 प्रतिशत सीटे आरक्षित करने हेतु संशोधन किये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

2– आगामी शैक्षिक सत्र से वीर माधो सिंह भण्डारी स्मृति व्याख्यानों के आयोजन शुरू किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

3– आगामी दीक्षांत समारोह से बी0टैक0 में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र–छात्रा को **"वीर माधो सिंह भण्डारी स्वर्ण पदक"** दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

4– विश्वविद्यालय के द्वारा वीर माधो सिंह भण्डारी के नाम से मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा उनके संस्थानों के संस्थापक/अतिविशिष्ट/सम्मानित सदस्यों के नाम से छात्रवृत्ति दिये जाने के नाम से अनुमोदन किया गया।

इति, बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(आर0पी0 गुप्ता)
कुलसचिव

(डा0 पी0पी0 ध्यानी)
कुलपति